ऑन लाईन नं.RCMS2022/280

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 23/2022

श्री.विशाल मित्तल खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री रविरतन रोतिया पुत्र श्री लक्ष्मण दास सेतिया निवासी वार्ड 572 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर। —खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक—
   मै0 विजय रेस्टोरेन्ट, 4-बी, पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(2)/51

निर्णय दिनांक : 06.01.2023

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री विशाल मित्तल खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 26.07.2011 के गजट में भाग 2(क) पर प्रकाशित हुआ है एवं निदेशालय के आदेश कमांकःएच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/475 दिनांक 10.08.2011 द्वारा केन्द्रीय दल, कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर में पदस्थापित है। परिवादी का स्थानीय क्षेत्र समस्त राजस्थान राज्य का है जिसका गजट नोटिफिकेशन दिनांक 11.04.2012 के गजट में भग 2 (क) पर प्रकाशित हुआ है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

श्री विशाल मित्तल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.06.2022 को दोपहर बाद 11.00 ए.एम. पर मै0 विजय रेस्टोरेन्ट, 4-बी, पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर पर पहुचें। वहा रविरतन रोतिया पुत्र श्री लक्ष्मण दास सेतिया निवासी वार्ड 572 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर उपस्थित मिला जिसने खुद को खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य लाईसैंस, जीएसटी रजि., तथा स्वयं के आधार कार्ड की स्वहस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित छायाप्रतियां प्रस्तुत कि जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षणा करने पर पाया कि आम जनता के विकय हेतु उपलब्ध **मावा** जो कि 1 प्लास्टिक थैली में डिप फ्रिजर में लगभग 10 रखा था के अमानक का शक होने पर 1 किलोग्राम **मावा** खाद्यकारोबारकर्ता श्री रविरतन सेतिया को सूचित

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

करते हुए वास्ते नमूने जांच खरीदा, जिसकी कीमत श्री रविरतन सेतिया को 350/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्यकारोबारकर्ता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। खरीद रसीद मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 05 ए प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री रविरतन सेतिया पुत्र श्री लक्ष्मणदास सेतिया, एवं गवाहन ने पढकर समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता श्री रविरतन सेतिया को देकर असल रसीद प्राप्त की । फार्म नम्बर 5 ए की प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **मावा 1 किलोग्राम** के चारों नमूना भागों पर लेबल चिपकायें एवं उन पर खाद्य नमूना कोड व अनुक्रमांक **K-1534** एवं अन्य विवरण दर्ज किया ओर लेबलों पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवायें तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवा कर प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटा और कागज के सिरों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूनाभाग पर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा स्लिप कोड अनुकमांक **K-1534** को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं विशाल मित्तल खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्ता रविरतन सेतिया ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/768/एक्ट/2022/768 दिनांक 05.07.2022 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **के–1534 मावा अमानक स्तर** Sub-Standard Food होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त रविरतन सेतिया पुत्र श्री लक्ष्मणदास सेतिया निवासी वार्ड 572 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **मावा** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(2)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 29.11.2022 को प्रस्तुत किया गया।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

ऑन लाईन नं.RCMS2022/280

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी विजय रेस्टोरेन्ट का मालिक है प्रार्थी के रेस्टोरेन्ट पर दिनांक 22.06.2022 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया था जिसमें खाद्य पदार्थ की बाद जांच सब स्टेण्डर्ड का फुर्ड पाये जाने के कारण प्रार्थी को उक्त नोटिस जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा दूध पशुपालको से दूध क्रय किया जाता है कई बार पशुओं के खानपान के कारण फेट कम होता है। प्रार्थी द्वारा दूध में किसी तरह की मिलावट नही की गई थी तथा ना ही प्रार्थी द्वारा मिलावट माल को आम जनता को विक्रय किया जाता है, इसलिए उक्त कार्यवाही प्रार्थी के विरूद्व अनुचित की गई है। अतः प्रार्थी के प्रकरण का आज ही निस्तारण फरमाया जावें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया मावा का सैम्पल **के–1534** जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/768/एक्ट/2022/768 दिनांक 05.07.2022 द्वारा Sub-Standard Food होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(2)/51 उल्लंघन किया है तथा जुर्माने योग्य अपराध है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि प्रार्थी विजय रेस्टोरेन्ट का मालिक है प्रार्थी के रेस्टोरेन्ट पर दिनांक 22.06.2022 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया था जिसमे खाद्य पदार्थ की बाद जांच सब स्टेण्डर्ड का फुर्ड पाये जाने के कारण प्रार्थी को उक्त नोटिस जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा दूध पशुपालको से दूध क्रय किया जाता है कई बार पशुओं के खानपान के कारण फेट कम होता है। प्रार्थी द्वारा दूध में किसी तरह की मिलावट नही की गई थी तथा ना ही प्रार्थी द्वारा मिलावट माल को आम जनता को विक्रय किया जाता है, इसलिए उक्त कार्यवाही प्रार्थी के विरूद्व अनुचित की गई है। अतः प्रार्थी के प्रकरण का आज ही निस्तारण फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Mawa"Code No and Sr. No. K-1534 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-standard Food as it does not Conform to the prescribed Standard of Food Safety and standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations. 2011** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त को एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 31(1)के तहत जुर्माने से दण्डित किये जाने के अन्तर्गत राशि रूपये 5,000–00 (अखरे रूपये पांच हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त मावा का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिक नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में मावा के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थो से उपभोक्ताओ के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पडे। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. हरीदिमा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर